

कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: मनिपु/नियम/पीए/2025/

दिनांक :

ग्राम रक्षक सूचीबद्ध करने हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 तथा राजस्थान पुलिस (संशोधन) अध्यादेश, 2020 के प्रावधान के अनुसार ग्राम रक्षक सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

ग्राम रक्षक अवैतनिक स्वयंसेवक के रूप में 2 वर्ष के लिए सूचीबद्ध किये जायेंगे। इसके लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण 40 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु के स्थानीय ग्रामवासी अपने स्थानीय थाने से आवेदन पत्र प्राप्त कर स्थानीय थाने में **15 अगस्त, 2025 तक** जमा करा सकते हैं।

इस संबंध में विस्तृत विवरण राजस्थान पुलिस की अधिकृत वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर अथवा स्थानीय जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

पंकज चौधरी, आई.पी.एस.

पुलिस अधीक्षक एवं नोडल अधिकारी,
कम्यूनिटी पुलिसिंग,
राजस्थान, जयपुर।